न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 26/2020 दायर दिनांक–06.02.2020
कम्प्यूटर आई.डी. 2020/00048

महीपाल सिंह पुत्र गौरूराम जाति जाट निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र चिमनाराम जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. रमेश कुमार मगनाराम जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3. देबूराम पुत्र मगनाराम जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4. हरीराम पुत्र लादूराम जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
5. अमरचन्द पुत्र लादूराम जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6. रामस्वरूप पुत्र लादूराम जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
7. सीताराम पुत्र रामकुमार जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथ जाति खाती (जागिड़) निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
9. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़
वकील प्रतिवादी : – ——————————

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड
दुरूस्तीकरण

:: **निर्णय** ::

निर्णय दिनांक 09.10.2020

वाद वादी दिनांक **06.03.2020** को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2020/669 दिनांक 09.06..2020 प्रस्तुत करने पर बहस वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम **सोटवारा** की भूमि ख.नं. **494 रकबा 2.14 हैक्टर** का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. ग्राम **सोटवारा** की भूमि ख.नं. 494/1 रकबा 1.41 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 8.71 का **महीपाल सिंह पुत्र गोरूराम जाति जाट साकिन देह** खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम **सोटवारा** की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 4.52 का देबूराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 11/146, रमेश कुमार पुत्र मगनाराम हिस्सा 11/146, राजेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथ हिस्सा 33/73, 8 अमरचन्द पुत्र लादूराम हिस्सा 6/73, रामस्वरूप पुत्र लादूराम हिस्सा 11/146, हरीराम पुत्र लादूराम हिस्सा 11/146, सीताराम पुत्र रामकुमार हिस्सा 6/73 जाति जांगिड साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। [illegible]

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

नोट- आदेश दिनांक 3/11/2020 के द्वारा जगदीश प्रसाद पुत्र मगनाराम जाति जांगिड हिस्सा 6/73 सा० देह संशोधित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

वाद पत्र विविधत विभाजन
एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा नम्बर 26/2020 (महीपाल सिंह बनाम जगदीश वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **श्री इन्द्राज सिंह** (आर.ए.एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.10.2020 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम **सोटवारा** की भूमि ख.नं. **494 रकबा 2.14 हैक्टर** का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. **ग्राम सोटवारा** की भूमि ख.नं. 494/1 रकबा 1.41 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 8.71 का महीपाल सिंह पुत्र गोरूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम **सोटवारा** की भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय लगान 4.52 का देवूराम पुत्र मगनाराम हिस्सा 11/146, रमेश कुमार पुत्र मगनाराम हिस्सा 11/146, राजेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथ हिस्सा 33/73, अमरचन्द पुत्र लादूराम हिस्सा 6/73, रामस्वरूप पुत्र लादूराम हिस्सा 11/146, हरीराम पुत्र लादूराम हिस्सा 11/146, सीताराम पुत्र रामकुमार हिस्सा 6/73 जाति जागिड साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन..........–.............. मुवलिग..........–...........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख, **09** माह **10** सन् **2020** को जारी की गई।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प बजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

नोट- आदेश दिनांक 3-11-2020 के अनुसरण में जगदीश प्रसाद पुत्र चिमनाराम जाति जागिड हिस्सा 6/73 जोड़ दें। संशोधन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

कार्यवाही विवरण	अनुपालना क्रमांक व दिनांक
3/10/[illegible] वादी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश होने पर पत्रावली आज अंतिम डिग्री पर तलब की गई। तहसीलदार नवलगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। उक्त विभाजन प्रस्ताव कबूल हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन निर्णय [illegible] से लिखवाया जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] दर्ज नम्बर [illegible] कर [illegible] तहसील आगे दाखिल दफ्तर हो।	
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
3/11/20 वादी की ओर से प्रा० पत्र मिसल तलबी एवं प्रा० पत्र अ० धारा 152 CPC पेश करने पर पत्रावली आज पेशी पर तलब की गई। वादी ने एक प्रा० पत्र अ० धारा 152 CPC का पेश कर निवेदन किया कि अंतिम निर्णय किये जाते समय प्रतिवादी नं [illegible] जगदीश प्रसाद पुत्र चिमनाराम का नाम व हिस्सा अंतिम निर्णय व डिग्री में लिपिकीय भूलवश दर्ज होने से रह गया था। उक्त लिपिकीय भूल कायम रहने से [illegible] निर्णय एवं डिग्री का प्रभावी रूप से पालन करवाया जाना संभव नहीं हो सकेगा। पालन करवाया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः [illegible] अंतिम निर्णय व डिग्री में विभाजन प्रस्ताव दिनांक 9.6.20 के अनुसार अंतिम निर्णय व डिग्री में जगदीश प्रसाद पुत्र चिमनाराम हिस्सा 6/73 दर्ज किया जावे।	
वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त भूल लिपिकीय भूल होना प्रतीत होता है [illegible] न्यायहित में उचित है। [illegible] किया जाना न्यायहित में [illegible] है। अतः आदेश दिया जाता है कि अंतिम निर्णय व डिग्री के पृष्ठ संख्या [illegible] पर पैरा संख्या 2 में [illegible] प्रतिवादी [illegible] जगदीश पुत्र चिमनाराम जाति [illegible] आंगिक हिस्सा 6/73 का इन्द्राज दर्ज किया जावे।	
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	

Scanned by CamScanner

आदेश	कार्यवाही विवरण
	तथा इसी अनुरूप डिक्री के मुताबिक [illegible] जगदीश प्रसाद पुत्र [illegible] आदि नाबालिग हिस्सा 6/7 [illegible] दर्ज करने के आदेश किये जाते हैं। पत्रावली तकमील बाद दाखिल दफ्तर हो।
	[illegible] उप [illegible] कारी